

प्रेषिका

ऋतु नागर,
सिविल जज (व0प्र0),
श्रावस्ती

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक (सेवार्ये),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
श्रावस्ती

विषय-

प्रार्थिनी की शल्यचिकित्सा के कारण स्थानान्तरण के संदर्भ में।

महोदय,

01. ससम्मान निवेदन यह है कि प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 39/एडमिन (सेवार्ये)/2022 दिनांकित 09.01.2022 के अनुपालन में दिनांक 14.01.2022 को इस जनपद में अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्तमान में प्रार्थिनी सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर कार्यरत है।
02. यह कि प्रार्थिनी लम्बी अवधि से यूटस से सम्बन्धित uterine polyps & fibroids की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। दिनांक 24.07.2021 को प्रार्थिनी की गम्भीर अवस्था में Hysteroscopy एवं Endometrial biopsy की गयी थी, जिससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ था। परन्तु दिनांक 02.10.2021 से प्रार्थिनी को पुनः समस्या उत्पन्न हो गयी, जिसका पुनः उपचार प्रारम्भ किया गया और दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थिनी को उपचार में सफलता न मिलने के कारण Hysterectomy का चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। उस समय मेरे जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा में कार्यरत होने के कारण चिकित्सकीय परामर्श द्वारा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य लाभ लेने का प्रयास किया गया, जिससे प्रार्थिनी को क्षणिक लाभ पहुंचा परन्तु रोग मूल रूप में विद्यमान रहा। दिनांक 23.08.2022 को प्रार्थिनी को पुनः गम्भीर रूप से बलाटिंग प्रारम्भ हो गयी, जो निरन्तर चलती रही। उक्त स्थिति में प्रार्थिनी को चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा कराने का अंतिम निष्कर्ष दिया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 11-11-2022 को प्रार्थिनी द्वारा फ्यूचर प्लस हॉस्पिटल मेरठ में यूटस का उपचार कराया गया है, जिसके समस्त चिकित्सकीय प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं।
03. यह कि जनपद श्रावस्ती में उपरोक्त बीमारी से सम्बन्धित चिकित्सक की उपलब्धता नहीं है एवं आवश्यक मूल भूत जांच जैसे सोनोग्राफी, पैपस्मियर परीक्षण इत्यादि का भी अभाव है, जिस कारण बार बार अवकाश लेकर यात्रा करना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। वर्तमान समय में सर्जरी उपरान्त प्रार्थिनी शारीरिक रूप से लंबी यात्रा करने में भी सक्षम नहीं है।
04. जनपद श्रावस्ती से जनपद मेरठ के लिए कोई सीधा रेलमार्ग अथवा वायुमार्ग भी स्थापित नहीं है, जिससे प्रार्थिनी की यात्रा सुगम हो सके।
05. यह कि प्रार्थिनी पर आश्रित उसके अबोध आयु के दो पुत्र हैं, जिनकी आयु क्रमशः 08 वर्ष एवं 05 वर्ष है। जनपद श्रावस्ती में आवश्यक शैक्षणिक स्कूलों का भी अभाव है, शिक्षा हेतु अच्छे शैक्षणिक संस्थान जनपद बहराइच एवं लखनऊ में स्थित है, जनपद बहराइच की श्रावस्ती से दूरी लगभग 40 किमी० है और लखनऊ की दूरी लगभग 140 किमी० है ऐसी दशा में यदि बच्चों को जनपद बहराइच में दाखिला दिलाया जाता है तो श्रावस्ती से बहराइच की प्रतिदिन यात्रा इस आयु के बच्चों के लिए ना तो सम्भव है और न ही सुरक्षित है क्योंकि जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा में बनाया गया है, जो श्रावस्ती से 29 किमी० दूर इकांना-भिनगा मार्ग पर स्थित है। प्रार्थिनी के पति भी मेरठ में रह कर व्यवसाय करते हैं व अधिकांशतः देश से बाहर आते जाते रहते हैं।
06. यह कि भविष्य में रोग की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण नियमित अंतराल पर प्रार्थिनी को मेरठ हॉस्पिटल आना जाना पडता है एवं सड़क मार्ग से यात्रा में 13-14 घण्टे का समय लगता है, जिससे अत्यंत असुविधा होती है और प्रार्थिनी की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है।

23/12/22

अतः प्रार्थिनी की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि प्रार्थिनी के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

ससम्मान,

दिनांक 22.12.2022

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (26 पेज)

भवदीया

Kishor
23/12/22

(ऋतु नागर),

सिविल जज (व0प्र0),

श्रावस्ती

(UP1671)